यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादून**के माह 08/2017से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार एवं श्री मुकेश कुमार-II सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12-11-2020से 23-11-2020 तक श्री टी॰ एस॰ नेगीवरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारीके पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकःइस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीतथा श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राज बहादुर लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 04/08/2017 से 09/8/2017तक मे संपादित किया गया था जिसमें 02/2004 से 07/2017तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप आयोग में प्राप्त शिकायतों के निवारण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2017-18	--	--	65.52	42.89	--	--	--	22.63	--
2018-19	--	--	65.20	55.01	--	--	--	10.15	--
2019-20	--	--	55.40	26.44	--	--	--	28.97	--
2020-21 (10/2020 तक)	--	--	31.70	15.13	--	--	--		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/बचत(-)
2017-18		शून्य			
2018-19					
2019-20					
2020-21 (10/2020 तक)					

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत निदेशक,उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव (समाज कल्याण)2. सचिव(जनजाति आयोग) 3. अध्यक्ष 4. उपाध्यक्ष 5. वरि॰ सहायक 6.कनिष्ठ सहायक आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादून(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017, एवं 12/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।राज्य सरकार से प्राप्त धनराशिका विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथालेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर 01: विभागीय उदासीनता के कारण शिकायतों का निवारण नहीं किया जाना एवं धनराशि रूपये 163.17 लाख का भुगतान लम्बित रहना।

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किए गये हैं ताकि इन जतियों/ वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जायें का निर्वहन करना था।

(a) कार्यालय अध्यक्ष/सचिव,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादूनके शिकायती पत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि 15.01.2018 को श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां ग्राम तुर्का गौरी, किच्छा ऊधम सिंह नगर ने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करायी कि प्रार्थी का परिवार वर्षों से इसी ग्राम में रहता है परन्तु प्रार्थी के परिवार को आज तक आवासीय पट्टा नहीं दिया गया है, जबकि प्रार्थी का परिवार पात्रता की श्रेणी में आता है। सूची में गरीब व वर्षों से निवास करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम नहीं दिये गये है जबकि ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसे लोगों को पट्टे दिये जाने के लिए सूची में शामिल किया गया है जो एक या दो वर्ष पूर्व ही ग्राम सभा में रहने के लिए आए हैं।

आयोग के द्वारा 12.03.2018 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। सुनवाई में जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ जिसके सम्बंध में अपर जिलाधिकारी, (नजूल) ऊधम सिंह नगर ने पत्र के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में जांच करायी जा रही है जिस कारण प्रकरण में नियत तिथि 12.03.2018 आख्या प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात आयोग के द्वारा 13.03.2018 को मा॰ उपाध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिये कि ग्राम तुर्का गौरी, किच्छा ऊधम सिंह नगर में आवासीय पट्टे आबंटन के सम्बंध में जब भी ग्राम सभा/ भूमि प्रबंधन समिति की बैठक ग्राम तुर्का गौरी की होगी, उसमें जो भी नाम स्वीकृत किए जायें उस पर आपत्ति मांगने के लिए उपजिलाधिकारी, किच्छा के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण को निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

आगे श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां ने 22.05.2018 को पुनः शिकायत दर्ज करायी कि ग्राम प्रधान के द्वारा 16.04.2018 को बिना एजेंडा घोषित किए और न ही बैठक की सूचना का प्रचार प्रसार किए बैठक की गयी, जो कि माननीय आयोग के निर्देशों की अवमानना थी।

जिससे स्पष्ट था कि आयोग की उदासीनता के कारण श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां की शिकायत के प्रकरण का निवारण किए बिना निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जो उचित नहीं था जिससे उस शिकायतकर्ता को पुनः शिकायत करनी पड़ी तथा जिसके लिए इकाई को 29.05.2018 को सुनवाई किए जाने का निर्णय लेना पड़ा जिसकी कोई जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी जिससे तीन वर्षों के पश्चात भी प्रकरण लम्बित था जिसका कोई समाधान नहीं निकाला गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर अवगत कराया किशिकायतकर्ता की शिकायत के निवारण हेतु कार्यवाही गतिमान है जिसे यथा शीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां के पात्रता की जांच जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित है।

(b) श्री तीरथ गिरी द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी सहकारी गन्ना विकास समिति किच्छा ऊधम सिंह नगर से सेवानिवृत्त और पिछड़ी जाति के लोग हैं। वर्ष 2011 से 2016 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हो चुके हैं हमें अभी तक पीएफ़, ग्रेच्युटी इत्यादि देयकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जिसके लिए 16.05.2017 को माननीय मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून से भी शिकायत की गयी जिसमें उनको पूर्ण विश्वास दिलाया गया कि उनका भुगतान एक माह के भीतर करा दिया जायेगा। पिछड़ी जाति के 39 कर्मचारियों की धनराशि रूपये 163.17 लाख का भुगतान किया जाना था। जिसके लिए दिनांक 04.07.2017 को मा॰ उपाध्यक्ष ने निर्देशित करते हुये पाया गया कि यह पीएफ़ की धनराशि प्रार्थियों के खुद की सह00भागिता से इकट्ठा की हुयी धनराशि है जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रार्थीगणों को किया जाना चाहिए था। इस प्रकरण पर विभागीय अधिकारियों द्वारा गम्भीर शिथिलता बरती गयी है। यह भी मा॰ आयोग के संज्ञान में आया कि इन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पेन्शन सुविधाएं देय नहीं हैं। ऐसे स्थिति में उनकी जमा पूंजी यथा पीएफ़, ग्रेच्युटी आदि का समय पर भुगतान न होना एक अपराध की श्रेणी में आता है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जो एक प्रकार की हठधर्मिता एवं लापरवाही प्रतीत होती है निर्देश के साथ श्री तीरथ गिरी व अन्य का शिकायती प्रकरण निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिया।

जिससे स्पष्ट था कि आयोग की उदासीनता के कारण श्री तीरथ गिरी व अन्य के शिकायती प्रकरण की शिकायत का निवारण किए बिना निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जो उचित नहीं था जिससे उस शिकायतकर्ता को पुनः शिकायत करनी पड़ी और प्रकरण से संबन्धित आगे की कोई जानकारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, जिससे तीन वर्षों के पश्चात भी प्रकरण लम्बित था जिसका कोई समाधान नहीं निकाला गया।जिससे पिछड़ी जाति के 39 कर्मचारियों का धनराशि रूपये 163.17 लाख का भुगतान न किए जाने से उनके परिवार की हालत दयनीय हो रही थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर अवगत कराया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के निवारण की कार्यवाही गतिमान है। शिकायतकर्ता के द्वारा पुनः शिकायत करने पर उसकी शिकायत में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शिकायत में सभी कर्मचारी पिछड़ा वर्ग के हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाईकी उदासीनता के कारण श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां तथा तीरथ गिरि की शिकायत के प्रकरण का निवारण किए बिना शिकायतों को निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जबकि श्री रियासत पुत्र श्री दुक्खन मियां के पात्रता की जांच कराये बिना उसको अपात्र मानकर उसको पट्टे का आबंटन नहीं किया जा रहा था। तीरथ गिरि की शिकायत में पिछड़ी जाति के 39 कर्मचारियों को धनराशि रूपये 163.17 लाख का भुगतान प्राप्त हुये बिना प्रकरण को निस्तारित किया जाना इकाई की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण शिकायत के प्रकरण का निवारण किए बिना एवं धनराशि रूपये 163.17 लाख का भुगतान लम्बित रहने पर शिकायतों को निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर कर दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 02: बजट कीमांग आवश्यकतानुसार न किये जाने के फलस्वरूप, विगत 3 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) में कुल आवंटन राशि रु॰ 186.12 लाख के सापेक्ष मात्र रु.124.34 लाख व्यय किया जाना तथा शेष रु. 61.78 लाख (33.2%)का उपयोग न होना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोपरांत बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र विकास कार्यों मे उसका उपयोग हो सके।

कार्यालय अध्यक्ष/सचिव,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई के विगत 3 वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय कम था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल आवंटित राशि का 34.54%,वर्ष 2018-19 में 15.63% तथा वर्ष 2019-20 में 52.27% शासन को समर्पण किया गया था। इस प्रकारवित्तीय वर्ष 2017-18 में रूपये 22.63 लाखकी धनराशि, वर्ष 2018-19 में 10.19 लाख तथा 2019-20 मे रुपए 28.96 लाखकी धनराशि का समर्पण किया गया अर्थात इन तीन वित्तीय वर्षों में कुल आवंटन राशि रु॰ 186.12 लाख के सापेक्ष कुल रुपए 61.78 लाख की राशि (33.2%)का वर्ष के अन्त मे समर्पण किया गया था ।

उपलब्ध विवरण से स्पष्ट है कि बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों के अन्त मे कुल रु 61.78 लाख की धनराशि समर्पित किए जाने के कारण शासन द्वारा उक्त राशि का अन्यत्र विकास कार्यों मे उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि महानुभावो की नियुक्ति नहीं की गयी, जो कि प्रत्याशित थी। जिस कारण उक्त धनराशि की अधिक माँग की गयी,जिसको वर्षान्त समर्पित कर दिया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि माननीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होने के पश्चात उनके मानदेयों हेतु बजट आबंटन की माँग किया जानाअपेक्षित था। अतः उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2019-20 तक) में कुल आवंटन राशि रु॰ 186.12 लाख के सापेक्ष मात्र रु.124.34 लाख व्यय किया जाना तथा शेष रु. 61.78 लाख (33.2%)का उपयोग न होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
51/2017-18	शून्य	1	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
51/2017-18	1,2 एवं 3	लम्बित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों से अनुमोदित करा कर सीधे प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i)शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री एन. के. शर्मा	सचिव	22/04/2017 से 13/03/2018
2	श्री अनुराग शंखधर	सचिव	14/03/2018 से 16/07/2018
3	श्री जीत सिंह रावत	सचिव	17/07/2018 से 31/01/2019
4	श्री बिपिन चंद्र रतुड़ी	सचिव	10/01/2020 से 05/11/2020

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अध्यक्ष,अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,उत्तराखण्ड, देहरादूनको इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए॰ एम॰ जी॰ - I) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-I